राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अनीता बनाम श्योनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 26/02/2026 को पेस हो	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
26/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/03/2026 को पेश हो	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26/03/2025 पारित करते हुये तहसीलदार जोबनेर को विवादित आराजी खसरा नम्बर 60 रकबा 3.7682 हैक्टेयर वाके ग्राम विजयगोविन्दपुरा प.ह. मुरलीपुरा भू.अ.नि.क्षे. हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज. का अलहदा-अलहदा किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (सरसरी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 तहत जहाँ तक यथासम्भव हो कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुये मौके के कब्जे काश्त के अनुसार एवं सभी हिस्सेदारो हेतु रास्ता दर्शाते हुये उभयपक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26/03/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस उचित प्रतीत होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का विवेचन किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटी कारित की गयी है	कानूनन उद्धरित तथ्यों का विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है	ऐसी स्थिति में अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री त्रुटीपूर्ण जाहिर होती है	ऐसेमें प्रकरण के तथ्यों का विवेचन करते हुये पुन: प्राथमिक निर्णय व डिक्री राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अनीता बनाम श्योनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26/03/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान प्रकरण के तथ्यों को विवेचित करते हुये विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर